सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
Member of Parliament Local Area Development Scheme

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

Dated ....

सं.सी-42/2011-एमपीलैड्स

दिनांकः 8 जुलाई, 2011

सेवा में,

राज्यों/संघ शासित राज्यों के नोडल सचिव
दिल्ली/कोलकाता/ चेन्नई/मुंबई के नगर निगम आयुक्त
सभी जिलों के जिला कलेक्टर /जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

विषयः एमपीलैड दिशा-निर्देशों में संशोधन के बारे में ।

महोदय/महोदया,

मंत्रालय, एमपीलैड योजना के दिशा-निर्देशों को सरल, स्पष्ट व समझने योग्य बनाने की प्रक्रिया में है । तदनुसार, वर्तमान दिशा-निर्देशों में विद्यमान पैरा 2.1 से 2.3 को निम्नानुसार परिवर्तित करने का निश्चय किया गया हैः-

2.1 एमपीलैड एक योजना स्कीम है जो पूर्णतया भारत सरकार से वित्त पोषित है । प्रत्येक सांसद को उसके निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष एमपीलैड्स कोष से 5 करोड़ रुपए पाने का हक है ।

2.2 लोक सभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं । राज्य सभा के चयनित सदस्य अपने निर्वाचन राज्य के अंदर कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं । राज्य सभा और लोक सभा, दोनों के नामित सदस्य देश में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं ।

2.3 सांसद अपने चयनित नोडल जिले की जानकारी दिशा-निर्देशों के अनुबंध-I में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को तथा एक प्रतिलिपि राज्य सरकार एवं चयनित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं । यदि लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला है तो सांसद किसी एक जिले को अपने निर्वाचन क्षेत्र का नोडल जिला चुन सकता है । राज्य सभा सांसद अपने निर्वाचन राज्य से किसी भी जिले को नोडल जिला चुन सकता है । राज्य सभा व लोक सभा के नामित सदस्य देश के किसी भी जिले को नोडल जिला चुन सकते हैं ।

4. इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय

(ए.के. चौधरी)
निदेशक (एमपीलैड्स)
दूरभाषः 23344933

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय सांसद (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स की राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. एमपीलैड्स की लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स प्रभाग से संबंधित अधिकारी ।
5. एनआईसी को एमपीलैड्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।